चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 26.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 26.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में लोकसभा चुनाव -2024 के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊ एवं आबकारी टीम द्वारा संयुक्त रुप से ग्राम बराछी में छापेमारी करते हुये अभियुक्त दुज्जी पत्नी दुबासे 2.सुनीता पत्नी अहिवरन निवासीगण बराछी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 35 लीटर कच्ची शराब, शराब बनाने के उपकरम व 02 क्विंटल लहन के साथ गिरफ्तार किया गया । बरामदशुदा लहन को मौके पर नष्ट किया गया तथा अभियुक्ताओं के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

बरामदगी:-

1.35 लीटर कच्ची शराब

2.शराब बनाने के उपकरण

3.02 क्विंटल लहन

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1.प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय
2.आबकारी निरीक्षक श्री के.के. मिश्रा
3.उ0नि0 श्री विनय विक्रम सिंह थाना मऊ
4.उ0नि0 श्री रामकृत यादव
5.आरक्षी प्रवीण पाण्डेय
6. आबकारी महिला आरक्षी सुमित्रा देवी

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में प्रभारी थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम ने खोये हुये मोबाइल को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 15.05.2024 को आवेदिका श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव पत्नी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव निवासी पटेल तिराहा के पास थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा अपने मोबाइल खो जाने के सम्बन्ध में CEIR पोर्टल पर शिकायत की थी। कोतवाली कर्वी पुलिस टीम को मोबाइल की लोकेश प्राप्त हुयी जिसमें थाना कोतवाली कर्वी में नियुक्त उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय एवं उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनाँक 26.05.204 मोबाइल को बरामद किया गया तथा मोबाइल स्वामी श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव उपरोक्त को थाना कोतवाली कर्वी बुलाकर मोबाइल उनके सुपुर्द किया गया। मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामी को चेहरे की मुस्कान लौटी तथा पुलिस का सराहना करते हुये धन्यवाद दिया गया।

<u>बरामदगी/सुपुर्दगी करने वाली टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली कर्वी
2.उ0नि0 यूटी0 श्री नीरज कुमार
3.महिला उ0नि0 यूटी0 सुश्री आकांक्षा
4.कम्प्यूटर ऑपरेटर नरेन्द्र कुमार

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनिल कुमार मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 309/2024 धारा 363,376(3) भादवि0 व 4(2) पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त सुनील उर्फ सुशील पुत्र देशराज वर्मा निवासी कोलगदहिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार मिश्रा थाना कोतवाली कर्वी
2.उ0नि0 यूटी0 श्री नीरज कुमार

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में थाना सरधुवा पुलिस टीम ने 02 अभियुक्तों को चोरी की 04 भैंसों के साथ गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 21.05.2024 को श्री लवकुश यादव पुत्र रामऔतार यादव निवासी भदेदू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट द्वारा थाना सरधुवा में सूचना दी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनकी 04 भैंस चोरी कर ली हैं। इस सूचना पर थाना सरधुवा में मु0अ0सं0 84/2024 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक सरधुवा ने उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा को भैंस बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया। उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा द्वारा अथक प्रयास करते हुये मुखबिर की सूचना पर आज दिनाँक 26.05.2024 को विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त राकेश सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रभूषण सिंह व रामराज निषाद पुत्र रामआसरे निषाद निवासगीण भदेदू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को चोरी की 04 भैंसों के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की भैंस बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

<u>बरामदगीः-</u>

चोरी की 04 भैंसे

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा थाना सरधुवा

2.आरक्षी राहुल पुरी

(7). आज दिनाँक 26.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की विधान सभा चित्रकूट एवं विधान सभा मऊ/मानिकपुर के स्ट्रॉग रूम राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर सीतापुर चित्रकूट का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की चेकिंग की गयी तथा कन्ट्रोल रूम में लगे सी0सी0टी0वी0 फुटेज के चेक किया गया साथ ही साथ निर्देशित किया गया कि किसी भी व्यक्ति/वाहन को अन्दर प्रवेश न करने दिया जाए ड्यूटी के दौरान सावधानी पूर्वक चेकिंग करें।

इस दौरान चौकी प्रभारी सीतापुर श्री गौरव तिवारी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्रचन्द पाण्डेय के मार्गदर्शन में थाना रैपुरा पुलिस ने 01 चोर को 02 बोरी चोरी के गेंहू के साथ गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 24.05.2024 को श्री लवलेश चन्द्र पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी रामपुर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा थाना रैपुरा में सूचना दी कि उनके ही गांव के नानबाबू पुत्र देवीदयाल ने अपने कुछ साथियों के साथ उनके दूसरे मकान से लोहे की टीन की छत को तोड़कर घर के अन्दर रखा गल्ला चोरी कर लिया है। इस सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 88/2024 धारा 457,380 भादवि0 पंजीकृत किया गया। थानाध्यक्ष रैपुरा ने उ0नि0 श्री रविकान्त राय को अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया। उ0नि0 श्री रविकान्त राय द्वारा अथक प्रयास करते हुये चोरी की घटना के नामजद अभियुक्त नानबाबू उपरोक्त को उसके घर से चोरी की 02 बोरी गेंहू के साथ गिरफ्तार किया गया। चोरी के गेंहू बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

<u>बरामदगीः-</u>

02 बोरी चोरी का गेंहू

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री रविकान्त राय थाना रैपुरा

2.उ0नि0 यूटी0 श्री नितिश यादव

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानकिपुर श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में निरीक्षक अपराध श्री प्रभुनाथ यादव द्वारा मु0अ0सं0 104/2024 धारा 376,506 भादवि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त शुभम उर्फ गोलू पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम सुखरामपुर मजरा चुरेह केसरूवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1.निरीक्षक अपराध श्री प्रभुनाथ यादव थाना मानिकपुर

2.उ0नि0 यूटी0 श्री पवन चौधरी

(10). आज दिनाँक 26.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में यातायात व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में प्रभारी यातायात श्री शैलेन्द्र सिंह द्वारा यातायात जागरुकता अभियान के अंर्तगत यातायात नियमों का उल्लघंन कर यात्रा करने वाले कुल 83 दो पहिया/चार पहिया वाहनों का कुल 1,88,500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। चैकिंग के दौरान प्रभारी यातायात द्वारा वाहनों में लगे हूटर, सायरन,ब्लैक फिल्म हटवाये गये तथा मालवाहक वाहनों में सवारी भरकर चलने वाले वाहन चालकों के लाइसेंस जब्त किये। नो-एण्ट्री का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर ट्रक को सीज किया गया। सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि सड़क पर यात्रा

करते समय दो पहिया पर हेलमेट,चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट आदि का प्रयोग करें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तैनात है ट्रैक्टर ट्राली एवं माल वाहनों से तीर्थयात्रियों का परिवहन कर रहे वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी तथा किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना घटित न हो पाए इसीलिए सभी वाहन चालकों से अनुरोध किया कि यातायात नियमों का पालन करें।